भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †2627

सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन, 1946 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

शिवगिरि पर्यटन सर्किट परियोजना

†2627. एडवोकेट अदूर प्रकाशः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत केरल राज्य में नई पर्यटन सर्किट परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की कोई योजना है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केरल सरकार की ओर से स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत अनुमोदन हेतु कोई नया प्रस्ताव सरकार के समक्ष है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) राज्य में चल रही शिवगिरि पर्यटन सर्किट परियोजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके लिए जारी की गई तिथि उपयोग में लाई गई निधि और पूर्ण किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने उक्त परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस परियोजना को अविलम्ब पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) और (ख): पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटन सुविधाओं/अवसरंचना के संवर्धन के लिए अपनी स्वदेश दर्शन योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है और इस योजना के तहत केरल राज्य में इको, ग्रामीण और आध्यात्मिक परिपथ संबंधी विषयों के तहत 312.47 करोड़ रुपये की राशि की 05 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसका विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

पर्यटन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव प्राप्त करना एक सतत प्रक्रिया है। प्राप्त प्रस्तावों की निर्धारित दिशा-निर्देशों के संदर्भ में जांच की जाती है और निर्धारित शर्तों की पूर्ति और निधियों की उपलब्धता के अध्याधीन ऐसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ): पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 में स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत “शिवगिरी श्री नारायण गुरु आश्रम- अरुविपुरम- कुन्नुमपारा श्री सुब्रह्मण्य- चेम्बाझंथी श्री नारायण गुरुकुलम का विकास” नामक परियोजना को मंजूरी दी, जिसकी वर्तमान स्वीकृत लागत 66.42 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (आईटीडीसी) है। पर्यटन मंत्रालय ने जारी करने के लिए 42.01 करोड़ रुपये की राशि अधिकृत की है, जबकि कार्यान्वयन एजेंसी ने 12 मार्च, 2025 तक 32.91 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग कर लिया है। पहले से अधिकृत राशि के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर और योजना के दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार भुगतान की निर्धारित किस्तों के अनुसार मंत्रालय द्वारा किस्त की अगली राशि जारी करने के लिए प्राधिकृत की जाएगी। पर्यटन मंत्रालय समय-समय पर परियोजना की प्रगति की समीक्षा करता है और यह देखा गया है कि परियोजना को पूर्ण करने में विलम्ब हुआ है। मंत्रालय ने कार्यान्वयन एजेंसी को स्थानीय प्राधिकरणों के साथ समन्वय करते हुए इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए फिर से निदेश दिए हैं। कार्यान्वयन एजेंसी ने इस परियोजना के निम्नलिखित कार्य भौतिक रुप से पूर्ण कर लेने के बारे में सूचित किया है:

शिवगिरी:
पार्किंग, बस शेल्टर, पानी की टंकी और वर्षा आश्रय, बैटरी संचालित इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद, सीसीटीवी कैमरा और एलईडी सोलर स्ट्रीट लाइट से रोशनी करने का कार्य।

******

अनुबंध

एडवोकेट अदूर प्रकाश द्वारा शिवगिरि पर्यटन सर्किट परियोजना के संबंध में दिनांक 17.03.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा के लिखित प्रश्न संख्या †2627 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में **विवरण**

केरल राज्य में स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत स्वीकृति परियोजनाओं की सूची

(राशि करोड़ रु. में)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र**	**परिपथ/ स्वीकृति वर्ष**	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृत राशि**	**जारी/प्राधिकृत* राशि**	**उपयोग की गई राशि#**	**भौतिक स्थिति (%)**
1.	केरल	इको परिपथ 2015-16	पथनमथिट्टा - गवी - वागामोन - तेक्कडी का विकास	64.08	64.08	64.08	पूर्ण
2.	केरल	आध्यात्मिक परिपथ 2016-17	सबरीमाला - एरुमेली - पम्पा - सन्निधानम का विकास	46.54	33.39	36.27	पूर्ण
3.	केरल	आध्यात्मिक परिपथ 2016-17	श्रीपद्मनाभ अर्नामूला का विकास	78.08	73.77	68.98	पूर्ण
4.	केरल	ग्रामीण परिपथ 2018-19	मालानाड मालाबार क्रूज पर्यटन परियोजना का विकास	57.35	45.88	36.34	पूर्ण
5.	केरल	आध्यात्मिक परिपथ 2018-19	शिवगिरीश्री नारायण गुरु आश्रम - अरुवीपुरम - कुन्नुमपारा श्री सुब्रह्मनिया - चेम्बझांथी श्री नारायण गुरुकुलम विकास	66.42	42.01	32.91	पूर्ण
			कुल	**312.47**	**259.13**	**238.58**	

*इसमें केंद्रीय क्षेत्र की योजना के लिए टीएसए मॉडल I के माध्यम से सीएनए को प्राधिकृत राशि शामिल है।

****